(84)

निगरानी प्रकरण क्रमांक : /2016

माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर, केम्प इन्दौर

निग – 1603 – PBR-16

1. मनोहरसिंह पिता किशन भिलाला
निवासी – कासेल, तह. राजपुर जिला –बड़वानी
2. किशन पिता जलाल भिलाला
निवासी – कासेल, तह. राजपुर ज़िला –बड़वानी ...प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. विजय पिता बाबूलाल सिर्वी
निवासी – कासेल, तह. राजपुर जिला –बड़वानी
2. बाबूलाल पिता नारायण सिर्वी
निवासी – कासेल, तह. राजपुर जिला –बड़वानी ...प्रतिप्रार्थीगण

श्री बी.के. गुप्ता अभिभाषक द्वारा कैम्प इन्दौर में प्रस्तुत 17/5/16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

इसमें प्रार्थीगण श्रीमान तहसीलदार महोदय राजपुर जिला बड़वानी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 1–ए–13/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 02/04/2016 से असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करते है।

प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है :–

यह कि, प्रार्थीगण ने श्रीमान तहसीलदार महोदय राजपुर के समक्ष म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 131 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि, ग्राम कासेल पटवारी हल्का नंबर 5 तहसील राजपुर की कृषि भूमि सर्वे नंबर 18/8 रकबा 0.401, सर्वे नंबर 19/2, सर्वे नंबर 312/2, 217/1 रकबा 1.267 सर्वे नंबर 163/11, रकबा 0.425 हेक्टेयर की भूमि मनोहरसिंह पिता किशन एवं गोदावरी पिता मनोहर, जाति भिलाला के नाम से भू–अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 व 2 पुत्र एवं पिता है। प्रतिप्रार्थी बाबूलाल पिता नारायण के नाम से कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर 4 रकबा 5.153 हेक्टेयर की भूमि भू–अभिलेख में भूमि स्वामी नाते दर्ज है।

यह कि, प्रार्थीगण को उनकी कृषि भूमि में पैदल गाडी, बेल एवं ट्रेक्टर से आने–जाने एवं कृषि कार्य करने हेतु ग्राम कासेल से

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1603–पीबीआर/16 जिला बडवानी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–1–2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजपुर जिला बडवानी के द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 2–4–2016 की सत्यप्रतिलिपि का एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण में पाया है कि आवेदक को अपनी भूमि पर आने जाने के लिये वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, इसलिये उसके द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक मार्ग चाहे जाने का आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही विधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । परिणामस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	